न्यायालय सहायक कलक्टर (फा॰ ट्रै॰) चौमूं
सतीश कुमार बनाम ईश्वर
मु॰नं॰ 109/2014

13/5/22 पत्रावली पेश हुई। प॰गण उप॰ बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शा॰ मि॰ किया गया। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर के कम हो एवं दाखिल दफ्तर हो।

sd/-
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमूँ (जयपुर)

# न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0/मु0) चौमूँ, जिला–जयपुर

**मुकदमा नं0:–109/2014**

उनवान

1. सतीश कुमार पुत्र जगन्नाथ (मृतक दौराने वाद)
   1/1 घनश्याम पुत्र स्व0 सतीश कुमार
   1/2 लक्ष्मी देवी पत्नी स्व0 सतीश कुमार
   1/3 सरोज देवी पुत्री स्व0 सतीश कुमार
2. गुलाब चन्द पुत्र जगन्नाथ,
3. कानाराम पुत्र जगन्नाथ,
4. सागरमल पुत्र जगन्नाथ,
5. नीतू पुत्री जगन्नाथ,

समस्त जाति बलाई, निवासी ग्राम ईटावा भोपजी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

**बनाम**

1. ईश्वर पुत्र झूँथा लाल,
2. ओमशिव भगवान पुत्र झूँथा लाल,
3. सुनिता पुत्री झूँथा लाल,
4. मीना पुत्री झूँथा लाल,
5. विनोद पुत्री झूँथा लाल,
6. भैरुलाल पुत्र हरदेव,
7. शान्ति पुत्री हरदेव,
8. सुरेश पुत्र कालूराम,
9. नन्दकिशोर पुत्र कालूराम,
10. द्वारका प्रसाद पुत्र कालूराम
11. ओम देवी पुत्री कालूराम,
12. मंजू देवी पुत्री कालूराम,
13. भगवती देवी पत्नी कालूराम,
    समस्त जाति बलाई, निवासी ग्राम ईटावा भोपजी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
14. बिदामी पुत्री स्व0 प्रभाता, पत्नी दीपचन्द, जाति नायक, निवासी ग्राम महूँ, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।
15. गीता देवी पत्नी स्व0 सुवालाल,
16. सत्यनारायण पुत्र स्व0 सुवालाल,
17. बलवीर पुत्र स्व0 सुवालाल,
18. दिनेश पुत्र स्व0 सुवालाल,
19. सोनू पुत्र स्व0 सुवालाल,
20. सुशीला पुत्री स्व0 सुवालाल,
21. मनभरी पत्नी स्व0 नन्छूराम,
    समस्त जाति नायक निवासी ग्राम ईटावा भोपजी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
22. आनन्द पुत्र स्व0 नन्छूराम, जाति नायक, निवासी ग्राम ईटावा भोपजी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
23. गजराज पुत्र स्व0 नन्छूराम
24. ममता पुत्री स्व0 नन्छूराम
25. गुड्डी पुत्री स्व0 नन्छूराम
    } नाबालिक जरिये संरिक्षिका माता मनभरी देवी पत्नी स्व0 नन्छूराम
26. चन्द्री देवी पत्नी स्व0 चौथमल,
27. कैलाशचन्द पुत्र स्व0 चौथमल,
28. कालू पुत्र स्व0 चौथमल,
29. नानूराम पुत्र स्व0 चौथमल,
30. मुकेश पुत्री स्व0 चौथमल
31. श्रवणी पुत्री स्व0 चौथमल
    } समस्त नाबालिक जरिये संक्षिका माता चन्द्री देवी पत्नी चौथमल

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमूँ (जयपुर)

32. रेखा पुत्री चौथमल, नाबालिक जरिये संरक्षिका माता स्व0 चन्द्री देवी पत्नी स्व0 चौथमल
33. हीरालाल पुत्र भूरा,
34. सन्ती देवी पत्नी स्व0 लक्ष्मण,
35. गणेश पुत्र स्व0 लक्ष्मण,
36. महेश पुत्र स्व0 लक्ष्मण,
37. माया पुत्री स्व0 लक्ष्मण,

(35 से 37) नाबालिक जरिये संरक्षिका माता सन्ती देवी पत्नी स्व0 लक्ष्मण

समस्त जाति नायक निवासी ग्राम ईटावा भोपजी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

38. रामकिशोर पुत्र कजोडमल,
39. रुघनाथ पुत्र महादेव,
40. भगवानसहाय पुत्र महादेव,
41. छोटू पुत्र महादेव,
42. नाथू पुत्र महादेव,

समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम ईटावा भोपजी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

43. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
44. रहिन ओबीसी बैंक शाखा निवाणा, जरिये शाखा प्रबन्धक।

–प्रतिवादीगण

## दावा बाबत घोषणा दुरुस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

## निर्णय

दिनांक :–13.05.2022

वादी की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम ईटावा भोपजी तहसील चौमूं, जिला जयपुर में साबिक खसरा नम्बर 313/1/4, 313/3/5, 1004/1/4 कुल किता 3 का कुल रकबा 3 बिघा 2 बिस्वा, हाल खसरा नम्बर 3041 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.78 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 313/1/5, 1004/1/5 कुल किता 2 का कुल रकबा 3 बिघा हाल खसरा नम्बर 3040 कुल किता 1 का कुल रकबा 0.76 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 313/1/6, 1004/1/6 कुल किता 2 का कुल रकबा 3 बिघा 12 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 3043 रकबा 0.91 हैक्टर खसरा नम्बर 1004/1/3 कुल किता 1 का कुल रकबा 3 बिघा 5 बिस्वा जिससे बने हाल खसरा नम्बर 3044/3341 रकबा 0.82 हैक्टेयर स्थित है जो भूमि वाद हाजा में भूमि विवादग्रस्त कहा गया है। वाके ग्राम ईटावा भोपजी तहसील चौमूं जिला जयपुर में साबिक खसरा नम्बर 1004/1 व खसरा नम्बर 313/1 की भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से ठिकाना ईटावा भोपजी दौलत सिंह वल्द हरीसिंह राजपूत के खाता नम्बर 130 की भूमिया थी जो साबिक नक्शा व साबिक रिकार्ड सम्वत् 2010 से 2023 से प्रमाणित है। साबिक खसरा नम्बर 1004/1 व खसरा नम्बर 313/1 कि भूमि आवंटन के समय एक ही चक के रुप में थी तथा गत नक्शे में भी एक ही चक के रुप में थी। लेकिन हाल नक्शे में तरमीम करते समय दौराने बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियों द्वारा मौके पर कब्जे के अनुसार खातेदारी व नक्शे में तरमीम नही किया गया, बल्कि मोका के कब्जे के विपरित खातेदारी दर्ज कर दी गई। जबकि वादीगण व प्रतिवादीगण मौके पर आवंटन के अनुसार ही काबिज काश्त होकर

उपयोग उपभोग करते चले आ रहे थे, तथा वर्तमान में भी पूर्व कब्जे के अनुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। व लगान सरकारी अदा करते चले आ रहे है। उक्त साबिक भूमियों का आवंटन वादीगण व प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 के दादा व प्रतिवादी संख्या 6 व 7 के पिता व प्रतिवादी संख्या 8 लगायात 12 के दादा व प्रतिवादी संख्या 13 के ससुर स्व0 हरदेव पुत्र शामला बलाई के नाम व प्रतिवादी संख्या 14 लगायात 32, 33 व 34 लगायत 37 के पिता व दादा व ससुर प्रभातया उर्फ प्रभात पुत्र मंगला व भूरा पुत्र मंगला नायक के तथा दुर्गा पुत्र छोटू व रामदेव पुत्र चन्द्रा खाती के नाम से अलग अलग आवंटन हुई थी तथा आवंटन भूमियों का रकबा भी समान ही था। जिस पर काबिज काश्त होकर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड व खातेदारी अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे थें। उक्त भूमियों के खातेदार रामदेव पुत्र चन्दा खाती ने मुताबिक कब्जे व खातेदारी अनुसार अपनी सम्पूर्ण भूमि को जरिये विक्रय पत्र दिनांक 04.11.1989 को प्रतिवादी संख्या 38 को बेचान कर कब्जा सम्भला दिया था। व खातेदार दुर्गा पुत्र छोटू खाती ने अपनी खातेदारी भूमि सम्पूर्ण को कब्जे अनुसार जरिये विक्रय पत्र के दिनांक 31.12.1999 को प्रतिवादी संख्या 39 लगायत 42 को बेचान कर कब्जा सम्भला दिया था तथा खरीदने के बाद लगातार काबिज कास्त होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। साबिक भूमियों का आवंटन अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण 1 लगायत 37 मोके पर काबिज काश्त चले आ रहे है। तर्था पूर्व में वादीगण व प्रतिवादीगण 1 लगायत 37 के पूर्वज व पूर्व खातेदार रामदेव पुत्र चन्द्रा व दुर्गा पुत्र छोटू खाती उक्त साबिक खसरा नम्बर 1004 / 1 व खसरा नम्बर 313 / 1 पर मुताबिक आवंटन रकबे के अनुसार ही काबिज काश्त चले आ रहे है। साबिक गत सेटलमेंट सम्वत् 2010 से 2023 में साबिक खसरा नम्बर 1004 / 1 के बंटा नम्बर खसरा नम्बर 1004 / 1 / 4 व खसरा नम्बर 1004 / 1 / 5 व खसरा नम्बर 1004 / 1 / 6 व खसरा नम्बर 1004 / 1 / 3 तथा साबिक खसरा नम्बर 313 / 1 के बटा नम्बर खसरा नम्बर 313 / 1 / 4, व खसरा नम्बर 313 / 3 / 5 व खसरा नम्बर 313 / 1 / 5 व खसरा नम्बर 313 / 1 / 6 के नये खसरा नम्बर कायम किये तथा साबिक खातेदारों के नाम से पृथक पृथक खातेदारी कायम की गई जो निम्न प्रकार से है।

1. वादीगण 1 लगायात 5 व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13 के नाम से मुताबिक खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2010 से 2023 के अनुसार खातेदारी हाल खसरा नम्बर 3040 रकबा 0.76 है0 एवं साबिक खसरा नम्बर 313 / 1 / 5 व 1004 / 1 / 5 कुल रकबा 3 बीघा जमाबन्दी दर्ज की गई।

2. प्रतिवादी संख्या 14 लगायत 37 के पिता व दादा व ससुर परभात्या व भूरा पिता मंगल्या नायक के मुताबिक खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2010 से 2023 के हाल जमाबन्दी

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमूं (जयपुर)

अनुसार हाल खसरा नम्बर 3041 रकबा 0.78 है0 एवं साबिक खसरा नम्बर 313/1/4, 313/3/5, 1004/1/4 कुल रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा खातेदारी दर्ज हुई।

3. खातेदार रामदेव पुत्र चन्द्रा खाती के मुताबिक खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2010 से 2023 के हाल जमाबन्दी अनुसार हाल खसरा नम्बर 3044/3341 रकबा 0.82 है0 एवं साबिक खसरा नम्बर 1004/1/3 कुल रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा खातेदारी दर्ज हुई। तथा जिसके वर्तमान खातेदार प्रतिवादी नम्बर 38 के नाम दर्ज है।

4. खातेदार दुर्गा पुत्र छोटू खाती के मुताबिक खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2010 से 2023 के हाल जमाबन्दी अनुसार हाल खसरा नम्बर 3043 रकबा 0.91 है0 एवं साबिक खसरा नम्बर 313/1/6, 1004/1/6 कुल रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा खातेदारी दर्ज हुई जिसके वर्तमान खातेदार प्रतिवादी संख्या 39 लगायत 42 के नाम दर्ज है।

वादीगण व प्रतिवादीगण 1 लगायत 42 चूंकि उक्त भूमि विवादग्रस्त में साबिक खातेदारी अनुसार अपने कब्जे काश्त के अनुसार काबिज चले आ रहे है। जो साबिक नक्शा व साबिक खातेदारी व आवंटन अनुसार साबिक नक्शे में खसरा नम्बर 1004/1 व खसरा नम्बर 313/1 के आवंटन पर हुए बटा नम्बरों का साबिक नक्शा में अंकन नहीं किया हुआ था। भूमि विवादग्रस्त में वादीगण व प्रतिवादीगण 1 लगायत 42 की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमियां हैं। तथा वे खातेदार काश्तकार है। लेकिन मोके पर चूंकि साबिक नक्शा में बटा नम्बरों का अंकन नहीं होने से अपने अपने कब्जे के मुताबिक हाल खसरा नम्बरान भी एक दूसरे के खातेदारी में आ गये है जो वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 42 की वर्तमान कब्जे अनुसार खसरा नम्बरान निम्न प्रकार से है।

1. वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 13 जो कि मृतक हरदेव पुत्र शामला बलाई के वारिसान है। जो हाल खसरा नम्बर 3041 रकबा 0.78 है0पर काबिज काश्त है। जबकि इस खसरा नम्बर 3041 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 14 लगायत 37 के नाम से चली आ रही है।

2. प्रतिवादी संख्या 14 लगयात 37 जों कि मृतक परभात्या व भूरा पिता मंगल्या जाति नायक के वारिसान है। जो हाल खसरा नम्बर 3043 रकबा 0.91 हैक्टेयर पर काबिज काश्त है। जबकि खसरा नम्बर 3043 की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 39 लगाया 42 के नाम से चली आ रही है।

3. प्रतिवादी संख्या 38 रामकिशोर पुत्र कजोडमल अहीर हाल खसरा नम्बर 3040 रकबा 0.76 हैक्टेयर पर काबिज काश्त है। जबकि खसरा नम्बर 3040 की खातेदारी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13 के नाम से चली आ रही है।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चाकसू (जयपुर)

4. प्रतिवादी संख्या 39 लगायत 42 रुघनाथ पुत्र महादेव, भगवानसहाय, छोटू, नाथू पुत्रान् महादेव अहीर के खसरा नम्बर 3044 / 3341 रकबा 0.82 हैक्टेयर पर काबिज काश्त है। जबकि खसरा नम्बर 3044 / 3341 रकबा 0.82 हैक्टेयर रामकिशोर पुत्र कजोडमल अहीर के नाम से खातेदारी में चली आ रही है।

वादीगण ने भूमि विवादग्रस्त की दुरुस्ती बाबत् प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 42 को मुताबिक आवंटन व हाल कब्जे काश्त अनुसार राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शे को दुरुस्त करवाने हेतु दौराने बन्दोबस्त की गलती को दुरुस्त करवाने हेतु कहा गया लेकिन प्रतिवादीगण 1 लगायत 42 ने वादीगण को आश्वासन देते रहे कि तुम तो काबिज रहो आप जब भी चाहोगे जब ही तहसील में जाकर मुताबिक वर्तमान कब्जे काश्त अनुसार खातेदारी व नक्शे की दुरुस्ती करवा लेंगे। लेकिन हाल ही में प्रतिवादीगण की नियत खराब हो गई एवं जमीनों की कीमतें बढ गई जिससे अब प्रतिवादीगण 1 लगायत 42 ने भूमिफिया गिरोह के व्यक्तियों से साठ गाठ कर रखी है। जिससे दिनांक 17.08.2014 को भूमि दिखाने लगे तथा बेचान करने की सलाह मशवरा की। जब वादीगण ने उक्त दुरुस्ती हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया कि काई दुरुस्ती नहीं करवायेंगे व बेचान हस्तान्तरण करके रहेंगे। तथा वादीगण को कब्जे से बेदखल करके रहेंगे। जिससे वादीगण को वाद कारण उदित होकर वाद पेश करना आवश्यक हुआ। वादीगण ने उक्त वाद पेश कर निम्न अनुतोष चाहा है कि भूमि विवादग्रस्त की घोषणा इस प्रकार से कि जावे कि दौराने बन्दोबस्त, आवंटन व वर्तमान कब्जा काश्त अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण 1 लगायत 42 कि वर्तमान खातेदारी को हजफ कि जाकर मुताबिक आवंटन एवं वर्तमान कब्जे काश्त अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण 1 लगायात 42 को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे तथा इसी तदअनुसार राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज दुरुस्ती फरमायी जावें तथा प्रतिवादीगण 1 लगायत 42 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द फरमाया जावे कि भूमि विवादग्रस्त का बेचान हस्तान्तरण नहीं करें तथा वादीगण को कब्जे काश्त से बेदखल नहीं करें ना ही स्वयं करे ना ही अपने एजेन्ट सर्वेन्ट या वर्कमेन से करवायें।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13 ने जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि वादीगण का वाद पत्र मुताबिक कब्जे काश्त व दोराने बन्दोबस्त व आवंटन अनुसार डिक्री किया जाता है तो मिन प्रतिवादीगण को कोई आपत्ती नहीं है। प्रतिवादी संख्या 38 लगायत 42 ने अपना जवाब दावा प्रस्तत कर निवेदन किया कि मिन प्रतिवादीगण भूमि को बेचान नहीं कर रहे है न ही कब्जे से बेदखल कर रहे है तथा वादीगण का वाद पत्र मुताबिक कब्जे काश्त व दोराने बन्दोबस्त व आवंटन अनुसार डिक्री किया जाता है तो मिन प्रतिवादीगण को कोई आपत्ती नहीं है। प्रतिवादी संख्या 14 लगायत 37 की ओर से जवाब

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक)
(जयपुर)

दावा पेश कर निवेदन किया गया कि मिन प्रतिवादीगण भूमि को बेचान नहीं कर रहे है न ही कब्जे से बेदखल कर रहे है तथा वादीगण का वाद पत्र मुताबिक कब्जे काश्त व दोराने बन्दोबस्त व आवंटन अनुसार डिक्री किया जाता है तो मिन प्रतिवादीगण को कोई आपत्ती नहीं है। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में मौखिक साक्ष्य के रुप में साक्ष्य शपथ—पत्र PW1 घनश्याम पुत्र सतीश कुमार, PW2 हीरालाल पुत्र भूरा, PW3 भगवानसहाय पुत्र महादेव, PW4 गोपीराम पुत्र घीसालाल, PW5 सुवालाल पुत्र गणेश, PW6 रामकिशोर पुत्र कजोडमल के पेश किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।

प्रकरण में वकील वादी व प्रतिवादी की बहस सुनी गई। बहस मे वकील वादी ने उन्ही तथ्यों को दोहराया जोकि वाद पत्र में अंकित है। तथा वकिल प्रतिवादी ने भी वादीगण का वाद पत्र मुताबिक कब्जे काश्त व दोराने बन्दोबस्त व आवंटन अनुसार डिक्री किये जाने पर अपनी सहमति दी। प्रकरण में तहसीलदार चौमूं से रिकॉर्ड व मौके की तथ्यात्मक रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार चौमूं कि रिपोर्ट अनुसार ग्राम ईटावा भोपजी के खसरा नम्बर 3040 के मौके पर खसरा नम्बर 3044 / 3341 का खातेदार रामकिशोर पुत्र कजोडमल जाति अहीर, सा0देह, खसरा नम्बर 3041 के मौके पर खसरा नम्बर 3040 के खातेदार ईश्वर पुत्र झुथालाल हिस्सा 1 / 35 वगै0, खसरा नम्बर 3043 के मौके पर खसरा नम्बर 3041 के खातेदार चौथमल वगै0 पुत्र भूरा जाति नायक सा0 देह एवं खसरा नम्बर 3044 / 3341 के मौके पर खसरा नम्बर 3043 के खातेदार रुघनाथ पुत्र महोदव हिस्सा 2 / 5 वगै0 काबिज काश्त है। प्रकरण में उभयपक्षों की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं तहसीलदार चौमूं से प्राप्त रिपोर्ट का बगौर अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। उपरोक्त विवेचनानुसार एवं न्यायालय अभिमत में वादीगण का वाद पत्र उभयपक्षो की सहमती के आधार पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। अतः वादीगण का वाद पत्र डिक्री किया जाकर आदेश दिया जाता है कि खाता संख्या 226 के खसरा नम्बर 3041 रकबा 0.78 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 14 लगायत 37 का नाम हजफ किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 13 जो कि मृतक हरदेव पुत्र शामला बलाई के वारिसान है के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज कि जावे उक्तानुसार खाता संख्या 226 की घोषणा की जाती है तदनुसार इन्द्राज दुरुस्ती किया जावे। खाता संख्या 464 के खसरा नम्बर 3043 रकबा 0.9100 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 39 लगायत 42 का नाम हजफ किया जाकर प्रतिवादी संख्या 14 लगायत 37 जो कि मृतक परभात्या व भूरा पुत्र मंगल्या जाति नायक के वारिसान है के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज कि जावे उक्तानुसार खाता संख्या 464 की घोषणा की जाती है तदनुसार इन्द्राज दुरुस्ती किया जावे। खाता संख्या 145 के खसरा नम्बर 3040 रकबा 0.76 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13 का नाम हजफ किया जाकर प्रतिवादी संख्या 38 के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज कि जावे उक्तानुसार खाता संख्या 145 की

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमूं (जयपुर)

घोषणा की जाती है तदनुसार इन्द्राज दुरुस्ती किया जावे। खाता संख्या 420 के खसरा नम्बर 3044 / 3341 रकबा 0.82 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 38 का नाम हजफ किया जाकर प्रतिवादी संख्या 39 लगायत 42 के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज कि जावे उक्तानुसार खाता संख्या 145 की घोषणा की जाती है तदनुसार इन्द्राज दुरुस्ती किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 13.05.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुल न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फा0ट्रै0)चौमूँ

# डिक्री मुकददमा इब्तदाई

## (आदेश 20 के नियम 6 और 7)

## न्यायालय सहायक कलेक्टर(फा0ट्रै0) चौमूँ, जिला—जयपुर

पीठासीन अधिकारी :— सुश्री सीमा खेतान(R.A.S.)

---

**मुकदमा नं0:—109/2014**

उनवान

1. सतीश कुमार पुत्र जगन्नाथ (मृतक दौराने वाद)
   1/1 घनश्याम पुत्र स्व0 सतीश कुमार
   1/2 लक्ष्मी देवी पत्नी स्व0 सतीश कुमार
   1/3 सरोज देवी पुत्री स्व0 सतीश कुमार
2. गुलाब चन्द पुत्र जगन्नाथ,
3. कानाराम पुत्र जगन्नाथ,
4. सागरमल पुत्र जगन्नाथ,
5. नीतू पुत्री जगन्नाथ,

समस्त जाति बलाई, निवासी ग्राम ईटावा भोपजी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

<u>बनाम</u>

1. ईश्वर पुत्र झूँथा लाल,
2. ओमशिव भगवान पुत्र झूँथा लाल,
3. सुनिता पुत्री झूँथा लाल,
4. मीना पुत्री झूँथा लाल,
5. विनोद पुत्री झूँथा लाल,
6. भैरुलाल पुत्र हरदेव,
7. शान्ति पुत्री हरदेव,
8. सुरेश पुत्र कालूराम,
9. नन्दकिशोर पुत्र कालूराम,
10. द्वारका प्रसाद पुत्र कालूराम
11. ओम देवी पुत्री कालूराम,
12. मंजू देवी पुत्री कालूराम,
13. भगवती देवी पत्नी कालूराम,
    समस्त जाति बलाई, निवासी ग्राम ईटावा भोपजी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
14. बिदामी पुत्री स्व0 प्रभाता, पत्नी दीपचन्द, जाति नायक, निवासी ग्राम महूँ, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।
15. गीता देवी पत्नी स्व0 सुवालाल,
16. सत्यनारायण पुत्र स्व0 सुवालाल,
17. बलवीर पुत्र स्व0 सुवालाल,
18. दिनेश पुत्र स्व0 सुवालाल,
19. सोनू पुत्र स्व0 सुवालाल,
20. सुशीला पुत्री स्व0 सुवालाल,
21. मनभरी पत्नी स्व0 नन्छूराम,
    समस्त जाति नायक निवासी ग्राम ईटावा भोपजी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
22. आनन्द पुत्र स्व0 नन्छूराम, जाति नायक, निवासी ग्राम ईटावा भोपजी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
23. गजराज पुत्र स्व0 नन्छूराम
24. ममता पुत्री स्व0 नन्छूराम
25. गुड़्डी पुत्री स्व0 नन्छूराम

    (23–25) नाबालिक जरिये संरिक्षिका माता मनभरी देवी पत्नी स्व0 नन्छूराम
26. चन्द्री देवी पत्नी स्व0 चौथमल,

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमूं (जयपुर)

27. कैलाशचन्द पुत्र स्व0 चौथमल,
28. कालू पुत्र स्व0 चौथमल,
29. नानूराम पुत्र स्व0 चौथमल,
30. मुकेश पुत्री स्व0 चौथमल
31. श्रवणी पुत्री स्व0 चौथमल
(28–31) समस्त नाबालिक जरिये संक्षिका माता चन्द्री देवी पत्नी चौथमल
32. रेखा पुत्री चौथमल, नाबालिक जरिये संरक्षिका माता स्व0 चन्द्री देवी पत्नी स्व0 चौथमल
33. हीरालाल पुत्र भूरा,
34. सन्ती देवी पत्नी स्व0 लक्ष्मण,
35. गणेश पुत्र स्व0 लक्ष्मण,
36. महेश पुत्र स्व0 लक्ष्मण,
37. माया पुत्री स्व0 लक्ष्मण,
(35–37) नाबालिक जरिये संरक्षिका माता सन्ती देवी पत्नी स्व0 लक्ष्मण

समस्त जाति नायक निवासी ग्राम ईटावा भोपजी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
38. रामकिशोर पुत्र कजोडमल,
39. रुघनाथ पुत्र महादेव,
40. भगवानसहाय पुत्र महादेव,
41. छोटू पुत्र महादेव,
42. नाथू पुत्र महादेव,

समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम ईटावा भोपजी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
43. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
44. रहिन ओबीसी बैंक शाखा निवाणा, जरिये शाखा प्रबन्धक।

—प्रतिवादीगण

## दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा एवं तकासमा

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादीगण व प्रतिवादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू सुश्री सीमा खेतान आरएएस मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि—

खाता संख्या 226 के खसरा नम्बर 3041 रकबा 0.78 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 14 लगायत 37 का नाम हजफ किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 13 जो कि मृतक हरदेव पुत्र शामला बलाई के वारिसान है के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज कि जावे उक्तानुसार खाता संख्या 226 की घोषणा की जाती है तदनुसार इन्द्राज दुरुस्ती किया जावे। खाता संख्या 464 के खसरा नम्बर 3043 रकबा 0.9100 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 39 लगायत 42 का नाम हजफ किया जाकर प्रतिवादी संख्या 14 लगायत 37 जो कि मृतक परभात्या व भूरा पुत्र मंगल्या जाति नायक के वारिसान है के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज कि जावे उक्तानुसार खाता संख्या 464 की घोषणा की जाती है तदनुसार इन्द्राज दुरुस्ती किया जावे। खाता संख्या 145 के खसरा नम्बर 3040 रकबा 0.76 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13 का नाम हजफ किया जाकर प्रतिवादी संख्या 38 के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज कि जावे उक्तानुसार खाता संख्या 145 की घोषणा की जाती है तदनुसार इन्द्राज दुरुस्ती किया जावे। खाता संख्या 420 के खसरा नम्बर 3044 / 3341 रकबा 0.82 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 38 का नाम हजफ किया जाकर प्रतिवादी संख्या 39 लगायत 42 के नाम राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज कि जावे उक्तानुसार खाता संख्या 145 की घोषणा की जाती है तदनुसार इन्द्राज दुरुस्ती किया जावे ।

SSK
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमूं (जयपुर)

मुकदमा सं0–109/2014
उनवान– सतीश कुमार बनाम ईश्वर
निर्णय दिनांक– 13.05.2022

निजी .........मबलिक .............. बाबत ...............खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह ...... ........................... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक ....... को अदा करें।

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 13.05.2022 को जारी किया गया।

**मोहर** (सहायक कलक्टर चौमूँ (फास्ट ट्रेक))

**दस्तखत** ....... (sd.) सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)

**ओहदा**.......... चौमूँ (जयपुर)

वाद के खर्चे

| वादी | | प्रतिवादी | |
|---|---|---|---|
| | रुपया | | रुपया |
| 1. स्टाम्प अर्जी दावा<br>2. स्टाम्प वकालतनामा<br>3. स्टाम्प वजह सबूत<br>4. महन्ताना वकील<br>5. खर्चा गवाहन<br>6. फीस कमिश्नर<br>7.बाबत इजराय हुक्मनामा<br>8.मुतफरिक | 2<br>1 | 1. स्टाम्प अर्जी दावा<br>2. स्टाम्प वकालतनामा<br>3. महन्ताना वकील<br>4. खर्चा गवाहन<br>5. फीस कमिश्नर<br>6.बाबत इजराय हुक्मनामा<br>7.मुतफरिक | 2 |
| जोड़ | 3 | जोड़ | 2 |

(sd.)
सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)
चौमूँ (जयपुर)